हिमाचल प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नस्ति संख्या: एच0एफ0डब्ल्यू0–बी(एफ)2–1/2018

MISSION DIRECTOR
NATIONAL HEALTH MISSION
RECD. ON
DATE 25/8/18
H.P. SHIMLA

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल प्रदेश में सभी सरकारी/निजी स्कूलों में प्रथम श्रेणी में प्रवेश के समय टीकाकरण प्रमाण पत्र की प्रस्तुति बारे नीति को लागू करने के सहर्ष आदेश जारी करते हैं। इस नीति से सुनिश्चित होगा कि हिमाचल प्रदेश के हर बच्चे का पहली कक्षा में दाखिला लेने से पहले 5 वर्ष की आयु तक टीकाकरण कार्यक्रम पूरा हो चुका है। बच्चे के निवास क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ता यह प्रमाण पत्र देंगे कि उसका उपयुक्त टीकाकरण हो चुका है। इस नीति से यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 100 % कवरेज हासिल करना अपेक्षित होगा।

यह निति निम्न प्रकार से कार्यान्वित की जाएगी :–

1. बच्चे के निवास क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ता यह प्रमाण पत्र देंगे कि उसका उपयुक्त टीकाकरण हो चुका है। पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र स्वास्थ्य उप–केंद्र या शहरी MCH केन्द्रों के स्तर पर Health Supervisor अथवा Health Worker द्वारा जारी किया जाएगा। मानक प्रतिरक्षण प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 5 प्रतिशत बच्चों को निजी सुविधाओं से टीकाकरण मिलता है और ऐसे मामले में निजी डॉक्टर द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को वैध माना जाएगा।

2. यह प्रमाण पत्र सभी सरकारी/निजी स्कूलों जो कि CBSE, ICSE, HPBOSE के तहत आते हैं, इन सभी से प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यह स्थिति KG कक्षाओं पर लागू नहीं होगी बल्कि केवल पहली कक्षा में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए लागू होगी।

3. पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने कि स्थिति में किसी भी बच्चे को स्कूल प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। पूर्ण टीकाकरण या आंशिक रूप से टीकाकरण हुए बच्चों की सूची स्कूल के संबन्धित नोडल शिक्षक या प्रिंसिपल द्वारा तैयार की जाएगी और संबन्धित खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) को जमा की जाएगी तथा वह बच्चे को टीकाकरण के लिए उस क्षेत्र के एएनएम/आशा वर्कर को सूचित करेंगे। यदि कोई बच्चा पूर्ण टीकाकरण से वंचित पाया जाता है या जिनका टीकाकरण कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ है तो इस स्थिति में उसका टीकाकरण 3 महीने के भीतर कर दिया जाएगा।

आदेश

अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्याः एच0एफ0डब्लयू0–बी(एफ)2–1/2018 दिनांक 16 अगस्त, 2018 शिमला–2

प्रति प्रेषित है:–

1. सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2. अवर सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को मंत्रीमंडल के निर्णय मद संख्या–39 दिनांक 24–07–2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रस्तुत है।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अमन कुंज फेज–3, सेक्टर–6, न्यू शिमला–9.

विशेष सचिव (स्वास्थ्य),
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
हिमाचल प्रदेश, शिमला–1

पृष्ठांकन संख्याः शिक्षा–एच–(प्रार0)(4)–10/2019 दिनांकः अप्रैल, 2019

1. समस्त उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश को सुचना एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू पृष्ठांकित की जाती है।
2. रक्षक नस्ति।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)
26 APR 2019
शिमला–1

संयुक्त निदेशक (स्कुल)
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
हिमाचल प्रदेश, शिमला–1

Gr-1 06/05/19

1066 8/05/19

ENDST NO:- EDN-U (G-II) Elem/ Gen(NIFS)- 1750
O/o Dy Director Elem, Edu,
Una, Distt. Una. 13/05/19

Copy is being forwarded to All the BEEO's / Private Schools in Una Distt for information and necessary action.

Deputy Director of Elementary
Education, Distt. Una (H.P.)